

कयूम शेरानी बनाम लो.सू.अ. ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर )

सू.अ.अ. अपील संख्या 246 / 2019

13.01.20

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कयूम शेरानी, पता 37 सकीना कालोनी सिंवाचीगेट, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 28.10.2019 में उसके द्वारा (1) माननीय मुख्यमंत्रीजी के जोधपुर प्रवास जनसुनवाई दिनांक 8.10.19 को कबाडियों की मस्जिद सरदारपुरा का केयर टेकर वक्फ बोर्ड से कयूम शेरानी को बनाये जाने हेतु दिये गये पत्र की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि प्रकरण में मुख्यमंत्रीजी प्रकोष्ठ द्वारा जारी किये गये मात्र पत्र की प्रति व प्राप्त प्रत्युत्तर की प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।